Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 02-03-2006

Participants : Suman Shri Ramji Lal

>

Title : Regarding the need to address the grievances of Home Guards in Delhi.

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : महोदय, बाम्बे एक्ट 1947 की धारा 8 की तर्ज पर रूल 9 के तहत दिल्ली होम गार्ड की स्थापना 1959 में की गयी, जिसके तहत हजारों होम गार्डो को सरकार ने भर्ती किया लेकिन उनकी सेवाओं को नियमित कभी नहीं किया गया जबकि होमगार्ड लगातार अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग करते रहे थे। सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि 5 से 25 सालों तक दिल्ली में कार्यरत होमगार्डो को सरकार ने 1998 से 2001 के बीच उन्हें कार्यमुक्त कर दिया और इनके स्थान पर नए होम गार्डो की भर्ती के ि वज्ञापन समाचार पत्रों में दे दिए। लगभग 17 हजार होमगार्ड जिनकी जिंदगी का बहुमूल्य समय होमागर्ड के रूप में सेवा में बीता था बेरोजगार हो गए अधिक आयु होने के कारण ये किसी दूसरी सेवा में भी नहीं जा सके। होमगार्ड दर-दर की ठोकरें खाने को बाध्य हो गए तथा हालात इतने बद्दतर हुए हैं कि कुछ होम गार्ड ने आत्महत्या तक कर ली।

दिल्ली होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले ये लोग विगत तीन माह से जंतर मंतर पर धरना दिए बैठे हैं यद्यपि उपराज्यपाल दिल्ली ने इनकी समस्या की निराकरण हेतु अतिरिक्त सचिव गृह, दिल्ली सरकार की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी है। 6 दिसम्बर को गठित होने वाली इस समिति ने क्या निर्का निकाले हैं, कहना मुश्किल है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन सेवामुक्त होमगार्डो को ही सेवा करने का अवसर दिया जाये, जिससे इनका शेा जीवन भलीभांति व्यतीत हो सके।